राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकल न्यायाधीश सिविल रिट याचिका संख्या 6089/2019

1. सुरेश शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी 264, एडब्ल्यूएचओ कालोनी, अम्बाबारी, जयपुर, राजस्थान।
2. रश्मि शर्मा पत्नी श्री सुरेश शर्मा, आयु लगभग 38 वर्ष, 264, एडब्ल्यूएचओ कालोनी, अम्बाबारी, जयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

धनवंती शर्मा पत्नी स्व. श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, निवासी 264, एडब्ल्यूएचओ कालोनी, अम्बरारी, जयपुर, राजस्थान, वर्तमान पता बी-803, रूहिन टावर, स्टार बाज़ार सेटेलाइट के सामने, अहमदाबाद, गुजरात।

---प्रत्यार्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री दीपक शर्मा
प्रत्यार्थी (गण) की ओर से	:	श्री अशोक मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता सहायता श्री मुदित सिंहवी द्वारा

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

रिपोर्टेबल

निर्णय सुरक्षित करने की तिथि : 24/02/2022

उद्घोषित करने की तिथि : 07/04/2022

निर्णय

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्तागण द्वारा माता-पिता की देखभाल और कल्याण और वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण (एस.डी.ओ.), जयपुर सिटी, जयपुर द्वारा पारित 08.03.2019 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है जिसके तहत याचिकाकर्तागण को परिसर खाली करने का

निर्देश दिया गया था और प्रत्यर्थी मां के अधिकारों को बहाल किया गया था।

2. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता सं. 1 की मां और याचिकाकर्ता सं. 2 की सास है, जिसके पति आर्मी कर्नल थे, जिनका वर्ष 2003 में निधन हो गया था, जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले वसीयत के माध्यम से अपनी वसीयत में अपनी सभी चल और अचल संपत्तियों को प्रत्यर्थी के पक्ष में कर दिया था। प्रत्यर्थी के तीन बेटे और एक बेटी है। वर्ष 2004 में, प्रत्यर्थी ने 264, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गनाइजेशन कॉलोनी, अंबाबाड़ी, जयपुर (इसके बाद 'एडब्ल्यूएचओ कॉलोनी' के रूप में संदर्भित) वाला एक घर (इसके बाद 'विवादित संपत्ति' के रूप में संदर्भित) खरीदा जो उसके नाम पर पंजीकृत है। इस संपत्ति में दो तल हैं, जिसमें दो बेडरूम, एक भोजन कक्ष-सह-ड्राइंग रूम, एक रसोईघर और भूतल और पहली मंजिल दोनों पर दो वॉशरूम शामिल हैं।

3. याचिकाकर्ता ने कहा है कि वर्ष 2006 में, अपने पिता की मृत्यु के बाद, उन्होंने प्रत्यर्थी की इच्छा के खिलाफ याचिकाकर्ता नंबर 2 से विवाह किया, जिसके परिणामस्वरूप, उन्हें प्रत्यर्थी की विवादित संपत्ति छोड़ने का निर्देश दिया गया था। वर्ष 2010 में, रिश्तेदारों के आग्रह पर, याचिकाकर्तागण को इस विश्वास के तहत विवादित संपत्ति में वापस जाने की अनुमति दी गई थी कि वे अपनी बीमार, बूढ़ी, वरिष्ठ नागरिक मां की देखभाल करेंगे, जिनके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई थी, जिसका परिवार अलग रह रहा है, और छोटे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। उनका कहना है कि उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ अभद्र भाषा, उपेक्षा, मानसिक और शारीरिक यातना के साथ दुर्व्यवहार के आरोप केवल मनगढ़ंत कहानी हैं। भोजन प्रदान नहीं करने, प्रत्यर्थी के रिश्तेदारों या आगंतुकों की उचित देखभाल नहीं करने और प्रत्यर्थी को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान नहीं करने का तथ्य भी दिखावटी कहानी का हिस्सा है। याचिकाकर्तागण ने आगे कहा कि यह उनकी अपनी इच्छा से है कि प्रत्यर्थी वर्ष 2010 में अपनी भाभी के पास भिवानी गई थी और उसके बाद मार्च, 2018 से आज तक वह अपनी बेटी के घर पर रह रही है और याचिकाकर्तागण की उक्त अवधि के लिए उसे विवादित संपत्ति से बाहर निकालने में कोई भूमिका नहीं थी। याचिकाकर्तागण ने कहा है कि हालांकि वर्ष 2004 में, विवादित संपत्ति प्रत्यर्थी द्वारा खरीदी गई थी और उसके नाम पर पंजीकृत थी, लेकिन वर्ष 2010 में, याचिकाकर्ता ने अपने स्वयं के धन से लगभग 8 लाख रुपये का निवेश किया है।

यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने नाम पर 85% की सीमा तक उक्त संपत्ति की घोषणा के लिए सिविल कोर्ट के समक्ष एक मुकदमा दायर किया था। उक्त मुकदमे में, सिविल कोर्ट ने दिनांक 06.08.2021 के आदेश द्वारा आदेश 7 नियम 11 आवेदन पर वाद को खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ एक अपील को प्राथमिकता दी गई थी जो सिविल प्रथम अपील संख्या 305/2021 वाले इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उन्होंने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यथास्थिति बनाए रखने और अंतरिम आदेश को जारी रखने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्तागण ने अपने दावे के समर्थन में रिट याचिका की विषय-वस्तु को भी दोहराया है।

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-मां (वरिष्ठ नागरिक) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि प्रत्यर्थी को वर्ष 2010 में पहली बार उसके घर से बाहर निकाल दिया गया था और इसलिए, याचिकाकर्तागण के आचरण से व्यथित होकर मानसिक शांति के लिए उसे अपनी भाभी के निवास स्थान भिवानी जाना पड़ा। वर्ष 2016 में, पुरानी बीमारी, बीमार स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण, प्रत्यर्थी अपनी भाभी के साथ जयपुर लौट आई और याचिकाकर्तागण द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और इसलिए, प्रत्यर्थी की भाभी हरियाणा वापस चली गई और उसी के कारण, मार्च 2018 में, प्रत्यर्थी की बेटी आई और प्रत्यर्थी को अपने साथ अहमदाबाद ले गई। वह केवल अपने पति की पेंशन के कारण ही खुद को आर्थिक रूप से अपना निर्वहन करने में सक्षम है, अन्यथा, उसे याचिकाकर्तागण द्वारा उसके अपने ही घर से बाहर निकाल दिया गया है और हर रोज उसे उनके द्वारा परेशान किया जा रहा है और वह मानसिक और सामाजिक यातना से पीड़ित दयनीय स्थिति में है क्योंकि उसे अपनी विवाहित बेटी के घर में रहना पड़ता है जो हिंदू संयुक्त परिवार के रीति-रिवाजों के खिलाफ है।

5. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि 24.07.2018 को, प्रत्यर्थी द्वारा एक समाचार पत्र में विज्ञापन भी जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्तागण को उसकी संपत्ति से वंचित कर दिया गया था, जो उसके पति की इच्छा के माध्यम से उसे वसीयत की गई थी। प्रत्यर्थी ने आगे कहा है कि 12.11.2018 को, जब प्रत्यर्थी अहमदाबाद से अपनी बेटी के साथ अपने दस्तावेज प्राप्त करने के लिए वापस आई, तो उसे विवादित संपत्ति में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई, उसके अपने घर में बुरा

व्यवहार किया गया और इसलिए, उसने विद्याधर नगर पुलिस स्टेशन में पुलिस शिकायत दर्ज की। उसके नियंत्रण से परे कारणों के कारण, प्रत्यर्थी को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और कल्याण अधिनियम, 2007 और राजस्थान सरकार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक रखरखाव नियम, 2010 (संक्षेप में '2007 का अधिनियम' और '2010 के नियम') के तहत वरिष्ठ नागरिक अधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा और 08.03.2019 के आदेश को याचिकाकर्तागण पर सम्यक रूप से तामील कराने के उपरांत अधिकरण ने याचिकाकर्तागण को एक महीने की अवधि के भीतर विवादित संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया था। नतीजतन, वर्तमान याचिका दायर की गई थी और 03.04.2019 को इस न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया था। प्रत्यर्थी की दलील है कि विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित है और उसके पक्ष में उक्त आदेश पारित करने के बावजूद, वह अपने घर में रहने में सक्षम नहीं है।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **खंडपीठ विशेष अपील (रिट) संख्या 920/2019** में दिए गए इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा व्यक्त किया, जिसका शीर्षक ***राकेश सोनी एवं अन्य बनाम प्रेमलता सोनी एवं अन्य*** **एआईआर 2020 राजस्थान 27** में प्रकाशित था जिसमें यह कहा गया था कि बेटे और बहू के खिलाफ परिसर को खाली करने का आदेश वैध और उचित है जब उनके द्वारा माता-पिता के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है।

7. ***संदीप गुलाटी बनाम संभागीय आयुक्त, सचिव-सह-संभागीय आयुक्त कार्यालय, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य*** पर भी निर्भरता रखी गई थी जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 2761/2020 और संबंधित मामलों में निर्णय दिया गया था जिसमें बेटे और बहू की बेदखली उचित थी क्योंकि वे अपने अभिभावकों का भरण-पोषण नहीं कर रहे थे, बल्कि वरिष्ठ नागरिक माता-पिता को परेशान कर रहे थे और उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे।

8. मामला सूचीबद्ध किया गया था। याचिकाकर्तागण और प्रत्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में बुलाया गया था। सुलह, मध्यस्थता, समझौते का प्रयास किया गया लेकिन विफल रहा। पक्षकारों और अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना गया। इस अदालत ने

मामले को मध्यस्थता के लिए फिर से भेजा जो विफल रहा। जैसा कि दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी, मामले को अंतिम निपटान के लिए लिया गया था।

9. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार किया है, पिछली तारीखों पर याचिकाकर्तागण और प्रत्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से सुना है, मध्यस्थता कार्यवाही का विश्लेषण किया है, जो विफल हो गई है, और रिट याचिका के रिकॉर्ड और बार में उद्धृत निर्णयों पर भी विचार किया है।

10. मामले के वास्तविक तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी एक विधवा है, जो लगभग 72 वर्ष की आयु की वरिष्ठ नागरिक है। वर्तमान में, वह पिछले 5 वर्षों से अपनी विवाहित बेटी के साथ अहमदाबाद में रह रही है। विवादित संपत्ति को प्रत्यर्थी द्वारा वर्ष 2004 में खरीदा और पंजीकृत किया गया था। याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी व्यक्तिगत रूप से इस अदालत के समक्ष पेश हुए और स्वीकार किया कि वे लगभग 25 लाख रुपये के कारोबार का व्यवसाय चला रहे हैं। वे वर्तमान में घर में रह रहे हैं, जो प्रत्यर्थी-मां का है और उक्त घर का बड़ा हिस्सा उनके कब्जे में है और पहली मंजिल का शेष हिस्सा दूसरे बेटे और उसके परिवार के पास है। वित्त-पोषण के संदर्भ में, प्रत्यर्थी काफी स्वतंत्र है और लगभग 40,000 रुपये प्रति माह उसे अपने मृत पति की पेंशन के रूप में प्राप्त होते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 में, याचिकाकर्ता ने अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ घर छोड़ दिया और वर्ष 2010 में रिश्तेदारों की सलाह पर अपनी प्रत्यर्थी मां की देखभाल करने के लिए फिर से घर में प्रवेश किया। उसने अपनी मां और खुद के संयुक्त खाते से लगभग 8 लाख रुपये का निवेश किया है, जिस पर प्रत्यर्थी ने विवाद किया है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने उक्त संपत्ति में 85% हिस्सेदारी का दावा करते हुए घोषणा, विभाजन और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक सिविल मुकदमा संख्या 249/2019 भी दायर किया है। प्रत्यर्थी-मां ने इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए अनुरोध किया कि याचिकाकर्तागण को उनके परिवार के साथ विवादित संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए क्योंकि उनके द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, अगर वह उनके साथ रहती है तो उसके जीवन को खतरा है और याचिकाकर्तागण द्वारा उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। जबकि, याचिकाकर्ता का दावा है कि ये केवल आरोप हैं और वह अपनी मां के साथ रहने के लिए तैयार है, और विवादित संपत्ति पर उसका अधिकार है क्योंकि उसने अपने स्वयं के फंड से उस पर 8 लाख रुपये खर्च

किए हैं और इसलिए, उसे विवादित संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है।

11. 2007 का अधिनियम विधायिका द्वारा इस पृष्ठभूमि में अधिनियमित किया गया था कि संयुक्त परिवार प्रणाली के मुरझाने के कारण भारतीय समाज के पारंपरिक मानदंड और मूल्य खो गए हैं क्योंकि बड़ी संख्या में बुजुर्गों, विशेष रूप से विधवा महिलाओं की देखभाल उनके परिवार द्वारा नहीं की जा रही है, जो अपने वृद्धावस्था के वर्षों को अकेले बिताने के लिए मजबूर हैं और भावनात्मक उपेक्षा से पीड़ित हैं। इनके लिए वित्तीय सहायता की कमी है और इसे बर्बादी के रूप में माना जाता है। 2007 के अधिनियम के अलावा, जिस भूमि पर *वसुधैव कुटुम्बकम* की पांडुलिपि बनाई गई थी, जो पूरी दुनिया को एक ही परिवार मानती है, अपने ही बच्चों द्वारा माता-पिता के साथ किया गया बुरा व्यवहार चिंताजनक और खिन्न करने वाला है।

2007 का अधिनियम माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव के लिए सरल, सस्ती और त्वरित तरीके से उक्त शिकायत का निवारण करने के लिए तैयार किया गया था।

12. 2007 का अधिनियम रखरखाव, संपत्ति, वरिष्ठ नागरिक और कल्याण को परिभाषित करता है, जो निम्नानुसार है:–

> ***"धारा 2 (ख)*** *"रखरखाव" में भोजन, कपड़े, निवास और चिकित्सा उपस्थिति और उपचार के लिए प्रावधान शामिल हैं;*
>
> ***2(च)*** *"संपत्ति" से किसी भी प्रकार की संपत्ति अभिप्रेत है, चाहे वह चल या अचल, पैतृक या स्व-अर्जित, मूर्त या अमूर्त हो और ऐसी संपत्ति में अधिकार या हित शामिल हैं;*
>
> ***2(ज)*** *"वरिष्ठ नागरिक" से भारत का नागरिक होने के नाते कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने साठ वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली है;*
>
> ***2(ट)*** *"कल्याण" का अर्थ है वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन केंद्रों और अन्य सुविधाओं का प्रावधान।''*

13. इसके अलावा, 2007 के अधिनियम की धारा 3 अधिनियम को उच्चतम बनाती है जिसमें यह अधिभावी प्रभाव है कि यदि यह किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत है क्योंकि ऐसे समय में जब समाज का सामाजिक निर्माण परिवर्तित और रूपांतरित हो रहा है, सामाजिक ताने-बाने और मूल्यों को बरकरार रखना और उन्हें गिरने नहीं देना महत्वपूर्ण है।

14. **एस. वनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर, बेंगलुरु, शहरी जिला एवं अन्य** मामले में, **2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 1023** में प्रकाशित में यह निर्णय दिया गया है कि जब पारिवारिक कानून और व्यक्तिगत कानून होते हैं और ससुराल और बहू के बीच घरेलू संघर्ष होता है, तो दोनों को संबंधित कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 और 2007 का अधिनियम, दोनों विशेष अधिनियम हैं जिनमें गैर-बाध्यकारी खंड हैं और इसलिए, ऐसी स्थिति में बाद का कानून आमतौर पर लागू होगा। हालांकि, उनके बीच संघर्ष की स्थिति में, दोनों विधियों के प्रमुख उद्देश्य को सामंजस्यपूर्ण तरीके से देखा जाना चाहिए क्योंकि परिवार कानून और व्यक्तिगत कानून के बीच संतुलन बनाना और उन्हें इस तरह से पढ़ना महत्वपूर्ण है ताकि परिवार और समाज के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

15. इस मामले में, आवासीय परिसर में रहने का सवाल शामिल है। निम्नलिखित कारणों से, अधिकरण द्वारा पारित आदेश औचित्यपूर्ण है:

(i) 2007 के अधिनियम की धारा 2 (ख) और 2 (ट) के अनुसार, यह याचिकाकर्ता-बेटे का कर्तव्य था कि वह अपनी मां का रखरखाव करे और उसके कल्याण का ख्याल रखे क्योंकि वह न केवल एक वरिष्ठ नागरिक है, बल्कि उसकी एकमात्र जीवित अभिभावक भी हैं और याचिकाकर्ता बेटे को उसे कपड़े, भोजन, निवास और चिकित्सा का ध्यान रखना है/उपचार प्रदान करना है। हालांकि, इस स्थिति में इसके विपरीत हो रहा है। प्रत्यर्थी-मां को अपने याचिकाकर्ता-बेटे से किसी भी रखरखाव की आवश्यकता नहीं है, वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और उसके नाम पर संपत्ति है, फिर भी याचिकाकर्तागण द्वारा उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शोषण किया जा रहा है, जिन्होंने उसे प्रत्यर्थी के पक्ष में पारित अधिकरण के आदेश दिनांक 08.03.2019 के बावजूद अपने घर में शांति से रहने से वंचित कर दिया है।

(ii) प्रत्यर्थी-मां को विवादित संपत्ति का मालिक होने के बावजूद, याचिकाकर्तागण द्वारा उससे बाहर निकाल दिया गया और याचिकाकर्तागण द्वारा मानसिक, सामाजिक और शारीरिक शोषण सहित गंभीर दुर्व्यवहार किया गया था तथा हिंदू सामाजिक मानदंडों के खिलाफ उसे अपनी विवाहित बेटी के साथ रहना पड़ा था, खासकर इतनी बुजुर्ग उम्र में, और याचिकाकर्तागण के इस तरह के कृत्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के उसके अधिकार का उल्लंघन करते हैं। विवादित संपत्ति की मालिक होने के नाते और अपने पति की इच्छा के अधिदेश के अनुसार, उसे विवादित संपत्ति में अपनी इच्छानुसार रहने का पहला अधिकार है।

(iii) **राकेश सोनी एवं अन्य (सुप्रा.)** और **संदीप गुलाटी (सुप्रा.)** निर्णय के आलोक में**,** यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि जब माता-पिता उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, तो यह उनका यह विकल्प है कि उनका बेटा उनके साथ रहे या नहीं। इस मामले में प्रत्यर्थी-मां ने इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्तागण के साथ रहने से उसके जीवन को खतरा है, और अगर उसे उनके साथ रहने का निर्देश दिया जाता है, तो यह न केवल उसके मानसिक स्वास्थ्य को बल्कि शारीरिक कल्याण को भी खतरे में डाल देगा।

(iv) याचिकाकर्ता का यह तर्क विवादित है कि उसने उक्त संपत्ति में अपने स्वयं के 8 लाख रुपये का निवेश किया है। यह विश्लेषण किया गया है कि घर में निवेश का बड़ा हिस्सा भूमि की सुपर संरचना में है और यह बहुत कम है और याचिकाकर्तागण द्वारा किया गया निर्माण/नवीकरण केवल उनके स्वयं के उपयोग के लिए था। अपने पक्ष में 85% की सीमा तक विवादित संपत्ति की घोषणा के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने में याचिकाकर्ता-पुत्र की कार्रवाई का वर्तमान मामले में कोई आधार नहीं है क्योंकि 2007 के अधिनियम की धारा 2 (ख) और 2 (ट) के संदर्भ में याचिकाकर्ता द्वारा अपनी प्रत्यर्थी-मां की देखभाल नहीं करने की कार्रवाई घोषणा के लिए दायर मुकदमे की तुलना में पूरी तरह से अलग है।

(v) याचिकाकर्ता अपना खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, लगभग 25 लाख रुपये का कारोबार कर रहे हैं, वे अपनी आजीविका कमाने के लिए पर्याप्त योग्य हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता किसी अन्य स्थान पर अपने परिवार को चलाने में सक्षम हैं।

(vi) याचिकाकर्तागण का तर्क है कि दिनांक 08.03.2019 के आक्षेपित आदेश को पारित करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था, और यह कि मामले पर निर्णय लेते समय प्रक्रियात्मक खामियां बरती गईं थीं और अंतिम राहत अंतरिम उपाय के रूप में दी गई थी जो ***उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम राम सुखी देवी,*** *अन्य मामले में* **(2005) 9 एससीसी 733** में प्रकाशित में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत थी जो प्रत्यर्थी को अपने ही घर से बाहर निकालने का आधार नहीं हो सकती है। उचित नोटिस जारी किए गए, याचिकाकर्तागण को विद्वान अधिकरण के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से भी सुना गया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उनका अपना व्यवसाय है, मां अपनी बेटी के साथ रह रही है और विवादित संपत्ति को प्रत्यर्थी-मां के नाम पर पंजीकृत और खरीदा गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता की दलील सही नहीं है।

16. इस तथ्य के आलोक में कि प्रत्यर्थी-मां के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उसे अपने ही घर से निष्कासित कर दिया जाता है, याचिकाकर्तागण के खिलाफ मानसिक, शारीरिक और सामाजिक शोषण के आरोप लगाए गए हैं और इस अदालत के समक्ष कार्यवाही के दौरान प्रत्यर्थी-मां ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण के साथ रहने से उसके जीवन और मानसिक कल्याण के लिए खतरा पैदा होगा अत: 08.03.2019 को पारित अधिकरण के निष्कासन आदेश को रद्द करने के लिए याचिका की प्रार्थना में सुने जाने के लिए कोई आधार नहीं है।

17. इसलिए, याचिकाकर्तागण को उनके परिवार के साथ निर्देश दिया जाता है कि वे 08.03.2019 के आक्षेपित आदेश का सम्मान करें और अपने खर्च पर निर्णय की घोषणा की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर परिसर खाली कर दें और प्रत्यर्थी-मां को उचित सम्मान के साथ खाली और उचित स्थिति में घर बहाल करें। संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ को रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा इस निर्णय की एक प्रति प्रदान की जा सकती है, ताकि निर्धारित समय के भीतर निर्देशों का पालन किया जा सके और प्रत्यर्थी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जा सके। प्रत्यर्थी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह याचिकाकर्ता और उसके परिवार को भविष्य में विवादित संपत्ति पर जाने या रहने की अनुमति दे सकती है, यदि वह ऐसा चाहती है।

18. रिट याचिका में किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं की गई है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है। सभी अंतरिम आदेशों और लंबित आवेदनों का निपटान भी उपर्युक्त शर्तों में किया जाता है।

(समीर जैन), न्यायमूर्ति

Simple Kumawat/

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।